

डा० सुभाष बनीम धर्मादेवी
11/2/2020

आज्ञा विस्तृत रूप से

विभाग आज्ञा
का कार्यवाही

विशेष विवरण

15/1/20

पत्रावली केय डी/ वकील उपायपत्र डाय
वकील उपायपत्र की नकल संकेतित रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट वकील वप सुभाषी केय डी
रिपोर्ट उपायपत्र डी/ निष्ठा जालि है
विस्तृत विवरण प्रमाण से लिखताय जाकर
जामित पत्रावली उपायपत्र, पत्रावली
निसव आगा 2 चीन डी को सेका
वेकप उपायपत्र लिखित उपायपत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिमंत सिंह, आर.ए.एस.

काद संख्या : 112/2020

निर्णय दिनांक : 15.07.2024

डॉ सुभाष चंद

बनाम

घग्गा देवी वगै०

वाद बाबत तकासमा एवम रथाई निषेधाज्ञा

वाद पत्र बाबत तकासमा व रथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 04.07.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एक मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भु0अ0/कुर्रैजात/2024/1278 दिनांक 14.02.2024 के संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपस्थित अधिवक्तागण की बहस अंतिम कुर्रैजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने उपस्थित अधिवक्तागण, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का समीक्षा मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके राजस्व गांव केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख 53 खसरा नम्बर 653 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1		कजोडलाल दत्तक पुत्र चौथमल हिस्सा 1/32, जाति बागडा ब्राहमण सा.देह खातेदार, गुल्लाराम दत्तक पुत्र लच्छा बागडा हिस्सा 1/20, जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, गोपाल पुत्र कल्याण हि01/16 जाति बागडा ब्राहमण सा.देह खातेदार, छीतर पुत्र नानगा हिस्सा 1/32 जाति बागडा ब्राहमण सा.देह खातेदार, डा. सुभाष दत्त पुत्र किशनलाल दत्त हिस्सा 1/5 जाति ब्राहमण नि. के 37 इन्कम टैक्स कोलोनी टोंक रोड, दुर्गापुरा खातेदार, नाथू पुत्र कल्याण हि. 1/16 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, पांच्या	653 654	0.28 0.36	बारानी 1 बारानी 1	2.18 2.81

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

	ब्राहमण सा. देह खातेदार, पाच्या पुत्र जगन्नाथ हि. 1600/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, बशी पुत्र नानगा हि. 200/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, भूरी पत्नि स्व. श्योनारायण हि. 100/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, माधोलाल पुत्र बिरदीचन्द हि. 267/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, रमेशचन्द्र दत्तक पुत्र श्योनारायण हि. 100/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, रामनिवास पुत्र भंवरलाल हि. 67/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, रामप्रसाद पुत्र काना हि. 400/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, रामेश्वर पुत्र काना हि. 400/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, रोडूराम पुत्र भंवरलाल हि. 66/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, शंकर पुत्र भंवरलाल हि. 66/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, सुजीलाल पुत्र बिरदीचंद हि. 267/5120 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार, सीताराम पुत्र भंवरलाल हि. 67/5150 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार,				
	कुल किता 2	0.5120			

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार सांगानेर प्राप्त कुर्रजात में पटवारी द्वारा अंकित किया गया है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर